प्रेस विज्ञप्ति

29/03/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने फ्लैटों के संभावित खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिल्डर, ललित टेकचंदानी और उनके सहयोगियों से जुड़ी दुबई में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसर, पुणे में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित कुल 44.07 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी ने इस मामले में पहले ही 158 करोड़ रुपये के शेयर/म्यूचुअल फंड/सावधि जमा में निवेश को फ्रीज/जब्त कर लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत तलोजा पुलिस स्टेशन और चेंबूर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी जिसका प्रतिनिधित्व टेकचंदानी और अन्य करते हैं, ने नवी मुंबई के तलोजा में एक आवास परियोजना में संभावित घर खरीदारों से भारी धनराशि एकत्र किया ।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने नवी मुंबई के तलोजा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की भारी रकम एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण ये घर खरीदार फ्लैट या रिफंड के बिना मुश्किल में फंस गए।

पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच के दौरान, ललित टेकचंदानी को 18.03.2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उससे पूछताछ में पता चला है कि घर खरीदने वालों से प्राप्त धन को बिल्डर ने निजी लाभ के लिए और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों से संपत्ति बनाने में शोधित किया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि टेकचंदानी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से बाहर निकलने के बावजूद मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को अलग कर दिया। ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की हेराफेरी हो रही थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।